

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID -cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com Phone No. 0788-2283410 Fax No. 0788-2284488

क्र. /75..... / न.पा.नि. / 2020

भिलाई-चरौदा, दिनांक - 20 / 04 / 2020

// द्वितीय रूचि की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. //

नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा द्वारा Covid-19 के कारण प्रभावित गरीब/मजदूर/व्यक्तियों को राशन एवं भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु निम्नानुसार सामग्री क्रय किया जाना है। अतएव आयकर व GST में पंजीकृत व्यापारी/फर्म/व्यक्ति अपनी द्वितीय रूचि की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. सील बन्द लिफाफे में कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के कक्ष क्र. 02 में दिनांक - 27.04.2020 को अपराह्न 3:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि E.O.I. प्रस्तुतकर्ता/प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक - 27.04.2020 को अपराह्न 4:00 बजे खोले जावेंगे। रूचि की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. के साथ ₹ 10,000.00 (अक्षरी :- दस हजार रूपए मात्र) का F.D.R. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के पक्ष में देय होगा संलग्न करना होगा। उक्त द्वितीय रूचि की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. की विस्तृत जानकारी कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा अथवा निकाय के वेबसाइट <https://www.nagarnigambhilaicharoda.com> से डाऊनलोड कर प्राप्त किए जा सकते हैं।

स. क्र.	सामग्री का विवरण	ईकाई प्रति	दर	
			अंकों में	शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चावल (05 कि॰ग्रा॰ के पैकेट में)	प्रति कि॰ग्रा॰		
	अ. - मोटा			
	ब. - पतला			
2	राहर दाल (01 कि॰ग्रा॰ के पैकेट में)	प्रति कि॰ग्रा॰		
3	नमक आयोडिनयुक्त (½ कि॰ग्रा॰ के पैकेट में)	प्रति कि॰ग्रा॰		
4	तेल (01 लीटर के पाऊच में)			
	अ॰ - सोयाबीन	प्रति लीटर		
	ब॰ - राईसब्रान	प्रति लीटर		
5	आलू (02 कि॰ग्रा॰ के पैकेट में)	प्रति कि॰ग्रा॰		
6	सोयाबीन बड़ी (½ कि॰ग्रा॰ के पैकेट में)	प्रति कि॰ग्रा॰		
7	आटा (01 कि॰ग्रा॰ के पैकेट में)	प्रति कि॰ग्रा॰		
8	पोहा (01 कि॰ग्रा॰ के पैकेट में)	प्रति कि॰ग्रा॰		
9	साबुन			
	अ. - डेटाल	प्रति नग (वज़न सहित)		
	ब. - लाइफबॉय	प्रति नग (वज़न सहित)		


क्रमश :- 02

//02//

नियम व शर्तें :-

1. ईच्छुक व्यक्ति/संस्था को **PAN Card** व **G.S.T.** पंजीयन की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2. **E.O.I.** के साथ सामग्री का नमूना (**Sample**) प्रस्तुत करना होगा।
3. सामग्री कार्यादेश के 02 दिवस के भीतर कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा में पहुँचाकर देना होगा।
4. प्राप्त न्यूनतम दर स्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा को होगा।
5. सशर्त **E.O.I.** सह **R.F.P.** स्वीकार नहीं होंगे।
6. उक्त सामग्री महापौर/पार्षद निधि के तहत प्राप्त अनुशंसा के आधार पर क्रय किया जावेगा।
7. सामग्री गुणवत्ताहीन होने पर वापस किया जावेगा, जिसका किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
8. अनुबंधित एजेन्सी से **2% आयकर व 2% G.S.T.** कटौति कर भुगतान किया जावेगा।
9. विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

(प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर)
सील सहित


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई-चरौदा

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ०ग०)

क्र./075/निविदा/लो.नि.वि./2020

भिलाई-चरौदा, दिनांक :- 20.04.2020

//द्वितीय रूचि की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी.//

नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा द्वारा Covid-19 के कारण प्रभावित गरीब/मजदूर/व्यक्तियों को राशन एवं भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु निम्नानुसार सामग्री क्रय किया जाना है। अतएव आयकर व G.S.T. में पंजीकृत व्यापारी/फर्म/व्यक्ति अपनी-अपनी रूचि की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. सीब बन्द लिफाफे में कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के कक्ष क्र. 02 में दिनांक - 27.04.2020 को अपरान्ह 3:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि E.O.I. प्रस्तुतकर्ता/प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक - 27.04.2020 को अपरान्ह 4:00 बजे खोले जावेंगे। रूचि की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. के साथ रू. 10,000.00 (अक्षरी :- दस हजार रूपए मात्र) का F.D.R. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के पक्ष में देय होगा संलग्न करना होगा। उक्त रूचि की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. की विस्तृत जानकारी कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा अथवा निकाय के वेबसाइट <https://www.nagarnigambhilaicharoda.com> से डाऊनलोड कर प्राप्त किए जा सकते हैं।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई चरौदा

“घर में रहें, स्वस्थ रहें। हारेगा कोरोना, जीतेंगा हिन्दुस्तान”

2 Col. x 6 c.m.